the time of taking the investment decision on Visakhapatnam Steel Project (VSP), the requirements of funds for the project up to 1982-83 will be around Rs. 700 crores, and about Rs. 1,800 crores during the Sixth Plan period. These figures are likely to undergo some changes after the comprehensive revised detailed project report for VSP is received.

काश्मीरी गेट, दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर स्टालों पर खाने-पीने की वस्तुएं बेचा जाना

5567. **श्री दया राम शाक्य :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि काश्मीरी गेट, दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर स्टालों पर बेची जाने वाली खानेपीने की वस्तुओं के दाम बाजार के दामों की तुलना में बहुत अधिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने पर विचार कर रही है कि दिल्ली से बाहर से आने वाले यात्रियों को इन स्टालों पर उचित मूल्य पर खाने पीने की वस्तुयें मिलें ।

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर कुछ मामलों में खाने पीने की वस्तुओं के अधिक मूल्य लेने की सूचनाएं मिली हैं। ऐसे मामलों में यात्रियों को समय की कमी के कारण अधिक मूल्य देना पड़ जाता है । अधिक मुल्यों का कारण कुछ अनधिकृत विक्रेता भी हो सकते हैं, जो बस अड्डे में आ जाते हैं और लाइसेंस शुदा दुकानदारों को मिली भगत से यात्रियों से अधिक मुल्य लेते हैं।

(ग) अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर खाने पीने की वस्तुओं के दाम अधिक लेने की समस्या को हल करने के लिए अब नीचे दिए गए कदम उठाए गए हैं :—

(1) अब दुकानें लाइसेंस शुल्क के आधार पर केवल 11 महीने की अवधि के लिए अनुबन्ध पर दी जा रही हैं, जिसमें खाने-पीने की वस्तुओं को पूर्व-निर्धारित दरों पर देने के बारे मे शर्तें सूचित की जाती हैं।

(2) अनधिकृत विक्रेताओं को हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है।

(3) कुछ राज्य सरकारों को दुकानें। रेस्तरां स्थल किराए पर देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार को सेवों का रस बेचने के लिए एक दुकान किराए पर दी जा चुकी है।

(4) उन दुकानदारों के लाइसेंस रद्द करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जो मूल्य अधिक लेते हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोगों को ब्याज की कम से कम दर पर ऋण दिया जाना

5568. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो और पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों को छोटे तथा घरेलू उद्योगों को चलाने के लिये ब्याज की कम से कम दर पर ऋण देने के लिये कुछ वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं और उत्तर प्रदेश में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई है तथा उस पर ब्याज की दर क्या लगाई गई है;

(ग) उत्तर प्रदेश और बिहार के इन वर्गों के लोगों द्वारा वर्ष 1979–80 में कुल कितनी राशि के ऋणों के लिये आवेदन किये गये थे; और

(घ) क्या उन्हें पूरा ऋण दे दिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) दिसम्बर, 1978 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा गया था कि वे छोटे पैमाने के उद्योगों तथा अति लघु (टाइनी) क्षेत्रों के लिए, विशिष्ट पिछड़े जिलों में दिये गये तीन वर्ष की अवधि के सावधिक ऋणों पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से तथा अन्य क्षेत्रों में 11 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूल करें। यह दरें काश्तकारों, ग्रामीण/कुटीर उद्योगों आदि को दिये जाने वाले अधिकतम 25,000 रू० की राशि के मिश्रित ऋणों पर भी लागू होती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों सहित पात्र ऋणकर्ताओं को, विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत, 6,500/– रु० तक के मिश्रित ऋण, चार प्रतिशत वार्षिक की दर से दिये जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत दिये गये ऋणों का 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को दिया जाता है।

सांख्यिकीय आंकड़ा रिपोर्टिंग प्रणाली में उस रूप में आंकड़े नहीं रखे जाते जिस रूप में कि यह मांगे गये हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये ऋणों तथा विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत बिहार तथा उत्तर प्रदेश में दिये गये ऋणों से संबंधित, उपलब्ध आंकड़े नीचे लिखे अनुसार हैं :—

जून, 1979 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये ऋण

	खातों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपयों में)
बिहार	22975	5568.78
उत्तर प्रदेश	69612	16229.06

सितम्बर, 1979 के अंत की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण

	ऋणकर्ता खातों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपयों में)	
		कुल	जिसमें से अ० जा०/अ०ज०जा० की बकाया
बिहार	167687	867.31	340.97
उत्तर प्रदेश	224035	1677.13	633.40